"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013—भाद्र 25, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-6-340/2011/सात-1.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-6-340/सात-1/2011, रायपुर दिनांक 20 फरवरी 2013 में नवीन अनुभाग सृजित करने, अनुभाग की सीमाओं को परिवर्तित करने तथा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार उसकी सीमाओं को निर्धारित करने के अपने प्रस्ताव की सूचना जारी किया.

अतएव, उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित राजस्व जिले में, कॉलम क्रमांक (4) में विनिर्दिष्ट तहसील को समाविष्ट करते हुए, कॉलम (3) में उल्लिखित अनुसार निम्नलिखित नवीन अनुभाग सृजित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	राजस्व जिले	नवीन अनुभाग	नवीन अनुभाग में सम्मिलित तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जांजगीर-चांपा	चांपा	चांपा

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा
3.	गरियाबंद	देवभोग	देवभोग
4.	बिलासपुर	बिल्हा	बिल्हा
5.	बिलासपुर	मस्तूरी	मस्तूरी
6.	बिलासपुर	कोटा	कोटा, तखतपुर
7.	कबीरधाम	बोड़ला	बोड़ला
8.	बलरामपुर-रामानुजगंज	वाड्रफनगर	वाड्रफनगर
9.	कोरबा	पोड़ी-उपरोड़ा	पोड़ी-उपरोड़ा
10.	उत्तर बस्तर कांकेर	अन्तागढ़	तहसील अन्तागढ़, उप-तहसील कोयलीबेड़ा
11.	धमतरी	कुरूद	तहसील-कुरूद, उप-तहसील भखारा
12.	मुंगेली	लोरमी	लोरमी
13.	मुंगेली	पथरिया	पथरिया
14.	रायपुर	अभनपुर	आरंग, अभनपुर

Naya Raipur, the 12th September 2013

NOTIFICATION

No. F 6-340/2011/7-1.—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of the Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, vide Departmental Notification No. F-6/340/seven-1/2011, Raipur, dated 20th February, 2013, issued notice of its proposal of creation of new sub-divisions, to alter the limits of the Division and to define the limits thereof as specified in the Schedule mentioned in the said notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the Government of Chhattisgarh, hereby, creates the following new Sub Division, as mentioned in column (3) comprising the Tahsil specified in column number (4), within the Revenue District mentioned in column number (2) of the below mentioned Schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Revenue District (2)	New Sub-Division (3)	Tahsil in new Sub-Division (4)
1.	Janjgir-Champa	Champa	Champa
2.	Janjgir-Champa	Dabhara	Dabhara
3.	Gariyabandh	Devbhog	Devbhog
4.	Bilaspur	Bilha	Bilha
5.	Bilaspur	Masturi	Masturi
6.	Bilaspur	Kota	Kota, Takhatpur
7.	Kabirdham	Bodla	Bodla
8.	Balrampur-Ramanujganj	Wardafnagar	Wadrafnagar
9.	Korba	Pondiuproda	Pondiuproda
10.	Uttar Bastar Kanker	Antagarh	Tahsil Antagarh, Sub Tahsil Koylibeda
11.	Dhamtari	Kurud	Tahsil Kurud, Sub Tahsil Bhakhara
12.	Mungeli	Lormi	Lormi
13.	Mungeli	Pathariya	Pathariya
14.	Raipur	Abhanpur	Arang, Abhanpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.